

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2103]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2016/भाद्र 2, 1938

No. 2103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2016/BHADRA 2, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

सं. 31/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का. आ. 2786 (अ).—केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 31 मार्च, 2003 को सा. का. नि. सं. 265 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 22/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, —

(i) प्रारम्भिक पैरा की शर्त (7) के खण्ड (iv) में, “बांडेड परिसरों” शब्दों के स्थान पर “इकाइयों के परिसरों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) पैरा (2क) में “और पुनः भण्डारण की प्रक्रिया का पालन करते हुए” शब्द विलोपित किए जाएंगे ;

(iii) पैरा (ख) में, “और पुनः भण्डारण की प्रक्रिया का पालन करते हुए” तथा “और पुनः भण्डारण की प्रक्रिया का पालन करके” शब्द विलोपित किए जाएंगे ;

(iv) पैरा 4 में, “बांडेड परिसरों” शब्दों के स्थान पर “इकाइयों के परिसरों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(v) पैरा 5 में, (vii) शर्त के स्थान पर निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(vii) इकाई को, इस अधिसूचना के अंतर्गत ड्यूटी मुक्त रूप में खरीदी गई वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण के लिए एक परिसर रखना अपेक्षित होगा और उसमें निर्मित अथवा उत्पादित अंतिम उत्पादों तथा परिसरों का ब्यौरा, उक्त अधिकारी को घोषित किया जाएगा”,

(vi) पैराग्राफ 8 में,

(क) “अथवा डिबांड के लिए”, “डिबांडिंग अथवा” और “जैसा भी मामला हो”, शब्द विलोपित किए जाएंगे ।

(ख) “अथवा डिबांडिंग” शब्द जहां भी आएंगे, विलोपित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 484/03/2015 (पार्ट II)-एलसी]

टेमसुनारो जमीर, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं 22/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. सं. 265(अ) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2003 को प्रकाशित की गई थी और इसमें दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) की सा. का. नि. सं. 900 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 45/2015—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2016

No. 31/2016-Central Excise

S.O. 2786(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government being satisfied, that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/2003-Central Excise dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 265(E) dated the 31st March, 2003, hereinafter referred to as the said notification, namely: -

2. In the said notification, -

- (i) in the opening paragraph, in condition (7), in clause (iv) for the words “bonded premises” the words “premises of the unit” shall be substituted;
- (ii) in paragraph (2a), the words “and following the rewarehousing procedure” shall be omitted;
- (iii) in paragraph (2b), the words “and following the rewarehousing procedure” and “and by following the rewarehousing procedure” shall be omitted;
- (iv) in paragraph 4, for the words “bonded premises” the words “premises of the unit” shall be substituted;
- (v) in paragraph 5, for condition (vii), the following condition shall be substituted, namely: -
“(vii) the unit shall be required to have a premises for secure storage of goods procured duty free under this notification and the final products manufactured or produced therefrom and the details of the premises shall be declared to the said officer.”;
- (vi) in paragraph 8, the words “or to debond”, “or debonding”, “debonding or” and “, as the case may be” wherever they occur shall be omitted.

[F. No. 484/03/2015(Pt. II) – LC]

TEMSUNARO JAMIR, Under Secy.

Note : The principal notification No. 22/2003–Central Excise, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R 265(E) dated the 31st March, 2003 and was last amended by Notification No. 45/2015– Central Excise dated 24th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 900(E), dated 24th November, 2015.